बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 115/2021

तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

सीताबाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति माली निवासी ग्राम खड़िया हाल निवासी रानपुर कोटा जिला कोटा राजस्थान।

– वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी)

दिनांक :– 23.02.2022

श्री सरकार पैरोकार

7 दिसम्बर • 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

--- निर्णय ---

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डादरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0, खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0,

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 का 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात स्थित है, जिसमें वादिनी का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादिनी का नाम गलत रूप से छीतरबाई पुत्री नारायण दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में निहित वादिनी के हिस्से की आराजी मौके पर शांति पूर्वक वादिनी के कब्जे काश्त में है, वादिनी ने अपने हिस्से की आराजीयात का विकास कार्य करवाने हेतु खाते की नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो वादिनी की जानकारी में आया कि राजस्व रिकार्ड में माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 373 कुल किता 13 की कुल 11.15 हैक्टर की आराजीयात में वादिनी का नाम छीतरबाई पुत्री नारायण दर्ज किया हुआ है जबकि वादिनी का वास्तविक नाम सीताबाई पुत्री नारायण है।

माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 221 कुल किता 18 की कुल 4.80 है0. आराजी में वादिनी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा वादिनी का नाम सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किया हुआ है जो वादिनी का वास्तविक नाम है तथा वादिनी के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत खडिया के प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज से भी वादिनी का नाम सीताबाई पुत्री नारायण होने की पुष्टि होती है।

वादिनी द्वारा कर्मचारी हलका पटवारी महोदय से उक्त गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करने के लिए आज से एक माह पूर्व कहने पर उनके द्वारा गलत नाम को दुरस्त करने से मना कर दिया तथा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके आदेश लाने के बाद ही दुरस्ती करने की कहने से वादिनी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :—

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

FOR COPYING FEES ONLY

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील ... में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0, खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0, खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। पटवारी हलका दिल्लीपुरा द्वारा छीतरबाई पुत्री नारायण एवं सीताबाई पुत्री नारायण एक ही व्यक्ति होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वकील वादिनी द्वारा छीतरलाल, हेमन्त कुमार, बालकृष्ण, ललीता बाई, जोधराज के शपथ पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा बहस की गई तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, छीतरलाल, हेमन्त कुमार, बालकृष्ण, ललीता बाई, जोधराज द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, पटवारी हलका दिल्लीपुरा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0, खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा

नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.40 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0, खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0, खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के गलत नाम [illegible]तारबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक– 2022/403 दिनांक– 13/5/2022

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 56/22 उनवान सीताबाई बनाम राज. सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 115/21 उनवान सीताबाई बनाम राज. सरकार के न्यायालय में दिनांक 23.2.22 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.6.22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

56/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 780 दिनांक– 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 115/2021 उनवान सीताबाई / राजसरकार में जारी डिक्री दिनांक 21/09/21 की पालना में ग्राम डाबरीकलां में नामान्तरकरण सं. 976 दिनांक 24/6/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमे कोई कार्यवाही शेष नही है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

नाम :- डाबरीकलाँ
ल्का :- दिल्लीपुरा
ति. :- विनोदखुर्द
:- साँगोद
कोटा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 373
खाता संख्या पुराना :- 341

र का नाम:-
रलाल पुत्र भैरूलाल हिस्सा- 1/6 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1,3
हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Kamolar
राज पुत्र श्रीनाथ हिस्सा- 1/12 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1,3
हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Kamolar
पुत्री कजोड़ हिस्सा- 2/35 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
बाई पत्नि राधाकिशन हिस्सा- 1/14 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
ी पुत्री कजोड़ हिस्सा- 1/14 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
पुत्री कजोड़ हिस्सा- 2/35 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
कृष्ण पुत्र तुलसीराम हिस्सा- 1/48 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार
पुत्री कजोड़ हिस्सा- 2/35 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
री पुत्री कजोड़ हिस्सा- 2/35 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
बाई पत्नि गोरधन हिस्सा- 1/14 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- नामा.न.599 शुद्धि पत्र स.1
त्या पुत्री कजोड़ हिस्सा- 2/35 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1
लिताबाई पत्नि स्व. तुलसीराम हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार
ताबाई पुत्री नारायण हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार
न्त कुमार पुत्र तुलसीराम हिस्सा- 1/48 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार
देव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. खाड़िया खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.1,3
हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर,

ख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
	1.1100	दीगर पीवल	1.1100	19.98		स्वीकृत नामांतरकरण : 18 10/01/2023 शुद्धिपत्र	
	1.6200	दीगर पीवल	1.6200	29.16		स्वीकृत नामांतरकरण : 776 18/12/2020 रहनमुक्त	
	1.9000	दीगर पीवल	1.9000	34.20		स्वीकृत नामांतरकरण : 780 22/02/2021 हकत्याग	
	1.2300	चाही दोयम	1.2300	33.21		स्वीकृत नामांतरकरण : 797 16/07/2021 रहनमुक्त	
	1.4600	चाही दोयम	1.4600	39.42		स्वीकृत नामांतरकरण : 816 26/08/2021 विरासत	
	0.0100	गै.मु.टयूबवैल	0.0100			स्वीकृत नामांतरकरण : 931 04/01/2022 रहननामा	
	0.8800	चाही दोयम	0.8800	23.76		स्वीकृत नामांतरकरण : 976 24/06/2022 न्यायाा. आदेश	
	0.8000	चाही दोयम	0.8000	21.60		स्वीकृत नामांतरकरण : 998 12/10/2022 हकत्याग	
	0.9200	चाही दोयम	0.9200	24.84			
	0.2600	चाही दोयम	0.2600	7.02			
	0.4800	चाही दोयम	0.4800	12.96			
	0.1400	चाही दोयम	0.1400	3.78			
	0.3400	चाही दोयम	0.3400	9.18			
रे - 13	11.1500		11.1500	259.1100			

त केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

म :- डाबरीकलाँ
ा :- दिल्लीपुरा
:- विनोदखुर्द
ाँगोद
ा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 373
खाता संख्या पुराना :- 341

ा किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |